केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय,नई दिल्ली/ **Head Quarters, New Delhi**
website:www.kvsangathan.nic.in
E-mail : addl.com.admn@kvs.gov.in
दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली/ 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

फा. 11074-2/2021-केविसं/प्रशा-1 /82 दिनांक:17.03.2023

आदेश

माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 से **दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, गांधीधाम, जिला कच्छ (संसदीय क्षेत्र- कच्छ), गुजरात - 370240** के परिसर में परियोजना क्षेत्र **(under Project Sector)** के अधीन नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी।

प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात **दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात-370240** निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन ।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था ।
3. 15% प्रशासनिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च ।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे । उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्तूबर महीने में जमा की जाएगी ।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे ।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा ।

(शशि कान्त शर्मा)
सहायक आयुक्त (प्रशा.)

वितरण: -

1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, केविसं. के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमेन केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. अपर सचिव (संस्थान) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव ।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.I)/(शैक्षिक)/(प्रशा.)/(कार्मिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. सचिव, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, गांधीधाम, जिला कच्छ, गुजरात-370240
9. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद - इस अनुरोध के साथ कि अस्थायी भवन को अपने अधिपत्य में ले लिया जाए और विद्यालय का संचालन दिनांक 01.04.2023 से सुनिश्चित किया जाए।
10. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय ।
11. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
12. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली ।
13. निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर/मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर ।
14. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली ।
15. अध्यक्ष/ सचिव केविसं. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
16. ई.ई. केविसं. (मु.) नई दिल्ली।
17. गार्ड फ़ाइल ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय,नई दिल्ली/ Head Quarters, New Delhi
website:www.kvsangathan.nic.in
E-mail : addl.com.admn@kvs.gov.in
दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली/ 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

F.11074-2/2021/KVS/Admn-1/82

Dated:17.03.2023

ORDER

Approval of the Hon'ble Minister of Education-Cum-Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan, is hereby accorded to open new Kendriya Vidyalaya in the, **Deendayal Port Authority, Gandhidham, District-Kutch (Parliamentary Constituency- Kutch), Gujarat - 370240 (under Project Sector)** with classes I to V (single section in each class) from the academic year 2023-24 with consequential growth based on feasibility.

The Sponsoring Authority i.e. **Deendayal Port Authority, District-Kutch, Gujarat** will be responsible to provide:-

1. Permanent Vidyalaya building as per the specifications of the KVS.
2. 100% staff quarters to all the staff of the Kendriya Vidyalaya.
3. All recurring & non-recurring expenditure including 15% Administrative over-head charges and future development expenditure.

The sponsor shall remit the budgeted amount of recurring/non-recurring expenditure in advance installments to the Deputy Commissioner, KVS, Ahmedabad Region i.e. first installment in the month of April and second in the month of October for each financial year.

In case the sponsor fails to fulfill their commitment as agreed to, the Commissioner, KVS is empowered to reduce the number of classes/sections.

The admission to the Kendriya Vidyalaya will be as per the priorities/rules prescribed by the KVS from time to time for the KVs **under Project Sector**.

The admission process may be completed according to the schedule of admission prescribed for academic year 2023-24 that would be notified soon.

(Shashi Kant Sharma)
Assistant Commissioner (Admn.)

Distribution: -

1. PS to MoE-cum-Chairman, KVS New Delhi
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MoE-cum-Deputy Chairperson, KVS.
3. Sr. PPS to Addl. Secretary (Institutions), MoE-cum-vice Chairperson, KVS.
4. PS/EA to Commissioner, KVS, New Delhi
5. The Joint Commissioner (Training.), KVS HQ with the request to issue staff sanction order as per rules.
6. The Joint Commissioner (Admn.-I)/(Acad.)/(Admn.)/(Pers.), KVS New Delhi.
7. The Joint Commissioner (Finance), KVS, for information & necessary action.
8. The Secretary, Deendayal Port Authority, District-Kutch, Gujarat-. 370240.
9. The Deputy Commissioner, KVS (RO), Ahemdabad – with the request to take over the temporary building and ensure functional of the Vidyalaya w.e.f. 01.04.2023.
10. The Deputy Commissioner, KVS All Regional Offices.
11. The Deputy Commissioner, EDP Cell, KVS, New Delhi for uploading the order on KVS website.
12. The Secretary, C.B.S.E., Preet Vihar, Delhi.
13. The Director ZIET, KVS Gwalior. Mumbai/Mysore/Chandigarh/Bhubaneswar.
14. All Officers/Sections, KVS (HQ), New Delhi
15. President/ General Secretary, KVS recognized staff Associations.
16. E.E. KVS (HQ) New Delhi
17. Guard file.